Video from Dr. Prem Narayan

1 message

Dr. Prem Narayan <pratibha.sadan007@gmail.com> Fri, 4 Sept, 2026 at 20:24
To: csup@nic.in, dmbas@nic.in

सेवा में,
1.मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2.जिलाधिकारी,
जनपद-बस्ती।
3.उप जिलाधिकारी सदर,
बस्ती।
4.तहसीलदार सदर,
बस्ती।
5.पुलिस अधीक्षक , बस्ती।
विषय:
राजस्व लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना विधिवत पैमाइश एवं सीमांकन के कथित रूप से पक्षपातपूर्ण/भ्रामक रिपोर्ट एवं स्पॉट मेमो प्रस्तुत किए जाने तथा भ्रष्टाचार संबंधी गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच एवं आवश्यक विधिक/विभागीय कार्यवाही किए जाने के संबंध में प्रत्यावेदन।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि प्रार्थी निम्नलिखित तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता है—
1. यह कि प्रार्थी के पड़ोसी विनोद कुमार चौधरी एवं सरोज कुमार चौधरी पुत्रगण रामा प्रसाद के परिवार से प्रार्थी का लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। प्रार्थी का आरोप है कि ग्राम के कुछ व्यक्ति, जिनमें रमेश चंद्र, रामबदन आदि शामिल हैं, उक्त व्यक्तियों के प्रभाव में अथवा उनके साथ मिलकर समय-समय पर प्रार्थी के विरुद्ध शिकायतें एवं मुकदमेबाजी करते रहे हैं।
2. यह कि राजस्व लेखपाल संजीव यादव द्वारा चकमार्ग के संबंध में बिना किसी विधिवत निर्धारित फिक्स प्वाइंट से पैमाइश एवं सीमांकन किए, प्रार्थी के अनुसार दिनांक 12/07/2023 को उप जिलाधिकारी सदर, बस्ती के न्यायालय में एक ऐसी आख्या प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर वाद संख्या 6863/2023, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202317140306863, सरकार बनाम प्रेम नरायन, अंतर्गत धारा 136 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।
3. यह कि उक्त दिनांक 12/07/2023 की आख्या में यह कथन अंकित किया गया कि—
“डॉ. प्रेम नरायन पुत्र बनारसी प्रसाद द्वारा ग्राम बेलवाडाड़ तप्पा कलवारी में गाटा संख्या 49/0.081 हे. के जुज़ भाग पर पिलर सहित दीवाल बनाकर 0.70 मीटर और उसी भूमि में मकान के दक्षिण दीवाल में खिड़कियां लगा कर व उस पर छज्जा लगा कर कब्जा किया गया है।”
प्रार्थी का स्पष्ट कहना है कि गाटा संख्या 49 पर प्रार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण अथवा कब्जा नहीं किया गया है और उक्त कथन वास्तविक अभिलेखीय एवं स्थलीय स्थिति के विपरीत है।
4. यह कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजस्व लेखपाल संजीव यादव द्वारा पूर्व में इसी विषय से संबंधित जांच के दौरान दिनांक 22/03/2021 एवं 08/08/2022 को ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थीं, जिनमें वर्तमान आरोप से भिन्न

वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया गया था। अतः दिनांक 12/07/2023 की आख्या में पूर्व की जांच एवं उपलब्ध तथ्यों का उल्लेख न किए जाने का कारण भी स्वतंत्र जांच का विषय है।

5. यह कि दिनांक 08/08/2022 की पूर्ववर्ती आख्या में स्वयं राजस्व लेखपाल द्वारा, अन्य बातों के साथ, यह उल्लेख किया गया था कि चकरोड़ गाटा संख्या 49 के उत्तर तरफ गाटा संख्या 48 तथा दक्षिण तरफ गाटा संख्या 67 स्थित है और प्रार्थी गाटा संख्या 48 एवं 67 में सहखातेदार है तथा अपने हक एवं हिस्से में मकान, बाउंड्री वॉल, गेट आदि बनाकर आबादी के रूप में रहता है। उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि गेट बंद होने पर रास्ता अवरुद्ध होता है और गेट बंद न होने पर कोई अवरोध नहीं है।

6. यह कि उक्त पूर्ववर्ती आख्या में यह भी उल्लेखित था कि सरकार बनाम प्रेम नरायन, वाद संख्या 89, न्यायालय तहसीलदार/असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सदर, बस्ती में धारा 122-B एवं नियम 115-C के अंतर्गत कार्यवाही दिनांक 16/06/2016 को निर्णीत हो चुकी थी तथा गाटा संख्या 49/0.007 हे. के संबंध में प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जा चुकी थी।

7. यह कि उपर्युक्त पूर्ववर्ती राजस्व अभिलेखों एवं जांच रिपोर्टों के आलोक में यह गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि पूर्व में गाटा संख्या 48 एवं 67 में प्रार्थी के मकान/बाउंड्री आदि की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित की गई थी और गाटा संख्या 49 के संबंध में पूर्व कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी, तो वर्ष 2023 की आख्या में प्रार्थी के विरुद्ध गाटा संख्या 49 पर कब्जे का निष्कर्ष किस विधिवत पैमाइश, सीमांकन, नक्शा एवं अभिलेखीय आधार पर निकाला गया।

8. यह कि उपर्युक्त विवादित रिपोर्ट की पुनरावृत्ति करते हुए राजस्व लेखपाल संजीव यादव द्वारा दिनांक 29/08/2026 को पुनः रिपोर्ट तथा दिनांक 24/08/2026 का स्पॉट मेमो प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त रिपोर्ट एवं स्पॉट मेमो भी वास्तविक स्थलीय स्थिति तथा पूर्ववर्ती राजस्व रिपोर्टों की अनदेखी करते हुए तैयार किए गए हैं।

9. यह कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी के घर के बीच से होकर जाने वाले चकमार्ग, गाटा संख्या 49 की चौड़ाई लगभग 8 फुट 3 इंच है, जबकि प्रार्थी के घर की सीमा के मध्य मौके पर उपलब्ध चकमार्ग की चौड़ाई लगभग 10 फुट है। इस तथ्य का निष्पक्ष निर्धारण केवल विधिवत पैमाइश एवं सीमांकन से ही किया जा सकता है।

10. यह कि दिनांक 24/08/2026 को राजस्व निरीक्षक कलवारी, श्री शिव नारायण प्रथम तथा राजस्व लेखपाल द्वारा मौके पर कार्यवाही की गई। प्रार्थी का गंभीर आरोप है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रार्थी से ₹5,000/- लिए गए तथा इसके बदले चकमार्ग की वास्तविक 10 फुट चौड़ाई को रिपोर्ट में दर्शाने का आश्वासन दिया गया। इसी दौरान राजस्व लेखपाल संजीव यादव द्वारा प्रार्थी से कथित रूप से यह कहा गया कि सरोज प्रधान द्वारा ₹20,000/- दिए गए हैं तथा उनके भाई विनोद द्वारा कहा गया है कि किसी भी प्रकार डॉ. प्रेम नरायन के विरुद्ध रिपोर्ट लगानी है और यदि प्रार्थी अधिक धनराशि देगा तभी उसके पक्ष में कुछ किया जा सकता है।

प्रार्थी स्पष्ट करता है कि उपर्युक्त ₹5,000/- के भुगतान एवं संबंधित बातचीत की सत्यता का स्वतंत्र परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए इस संबंध में निष्पक्ष जांच कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

11. यह कि प्रार्थी के अनुसार दिनांक 24/08/2026 को राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल द्वारा चकमार्ग की विधिवत पैमाइश एवं सीमांकन नहीं किया गया। इसके बावजूद दिनांक 24/08/2026 के स्पॉट मेमो पर रामबदन, रमेश चंद्र एवं सरोज के हस्ताक्षर अंकित कराए गए और तत्पश्चात दिनांक 29/08/2026 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रार्थी के अनुसार उक्त व्यक्तियों की मौके पर वास्तविक उपस्थिति भी संदिग्ध है।

12. यह कि दिनांक 24/08/2026 की मौके की वास्तविक स्थिति तथा संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति एवं राजस्व अधिकारियों की गतिविधियों की जांच प्रार्थी के घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज से की जा सकती है। अतः उक्त CCTV फुटेज को तत्काल सुरक्षित कराकर, आवश्यक होने पर उसका तकनीकी परीक्षण कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, क्योंकि समय बीतने के साथ रिकॉर्ड स्वतः डिलीट/ओवरराइट होने की संभावना रहती है।

13.यह कि दिनांक 03/09/2026 समय लगभग 11 बजे दिन में को राजस्व लेखपाल संजीव यादव ने प्रार्थी को तहसील परिसर में यह कह कर धमकाया कि एस डी एम साहब का बहुत दबाव है इसलिए आप के खिलाफ रिपोर्ट देना पड़ा । साहब तो आप के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कह रहे थे।

14. यह कि उपर्युक्त परिस्थितियों में दिनांक 12/07/2023 की रिपोर्ट तथा दिनांक 29/08/2026 की रिपोर्ट एवं 24/08/2026 के स्पॉट मेमो की निष्पक्षता एवं विधिवतता पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से यह जांच आवश्यक है कि—

(क) क्या चकमार्ग की विधिवत पैमाइश एवं सीमांकन किया गया था;

(ख) पैमाइश किस फिक्स प्वाइंट/राजस्व नक्शे/अभिलेख के आधार पर की गई;

(ग) पूर्व की दिनांक 22/03/2021 एवं 08/08/2022 की रिपोर्टों को वर्तमान रिपोर्ट में क्यों नहीं विचारित किया गया;

(घ) गाटा संख्या 48, 49 एवं 67 की वास्तविक स्थिति का मौके पर क्या सीमांकन है;

(ङ) दिनांक 24/08/2026 के स्पॉट मेमो पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की मौके पर वास्तविक उपस्थिति थी अथवा नहीं; तथा

(च) प्रार्थी द्वारा लगाए गए धनराशि लिए जाने एवं अन्य संबंधित आरोपों में प्रथमदृष्टया कोई सत्यता है अथवा नहीं।

15. यह कि प्रार्थी किसी भी राजस्व अधिकारी के विरुद्ध बिना जांच के दोषसिद्धि का आग्रह नहीं कर रहा है, बल्कि उपलब्ध अभिलेखों, पूर्ववर्ती रिपोर्टों, स्थलीय स्थिति तथा CCTV फुटेज आदि के आधार पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं तथ्यपरक जांच की मांग कर रहा है, जिससे वास्तविक तथ्य न्यायालय एवं प्रशासन के समक्ष आ सकें।

अतः प्रार्थना है कि—

1. दिनांक 12/07/2023 की विवादित रिपोर्ट, दिनांक 24/08/2026 के स्पॉट मेमो तथा दिनांक 29/08/2026 की रिपोर्ट की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच किसी ऐसे राजस्व अधिकारी से कराई जाए जो उक्त प्रकरण की पूर्व जांच/रिपोर्ट तैयार करने में सम्मिलित न रहा हो।

2. गाटा संख्या 48, 49 एवं 67 तथा संबंधित चकमार्ग की वास्तविक स्थिति का राजस्व अभिलेखों, नक्शे एवं निर्धारित फिक्स प्वाइंट के आधार पर स्वतंत्र टीम द्वारा विधिवत पैमाइश एवं सीमांकन कराया जाए तथा उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए।

3. दिनांक 22/03/2021 एवं 08/08/2022 की पूर्ववर्ती राजस्व रिपोर्टों को वर्तमान रिपोर्टों के साथ मिलाकर उनकी तथ्यात्मक संगति/विसंगति की जांच की जाए।

4. दिनांक 24/08/2026 की मौके की CCTV फुटेज को तत्काल सुरक्षित कराने हेतु आवश्यक आदेश पारित किए जाएं तथा फुटेज उपलब्ध होने पर उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए।

5. ₹5,000/- लिए जाने तथा अन्य धनराशि के संबंध में लगाए गए आरोपों की सक्षम एवं स्वतंत्र अधिकारी से जांच कराई जाए और यदि जांच में आरोप प्रथमदृष्टया सत्य पाए जाएं तो संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रचलित विधि के अनुसार विभागीय एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाए।

6. यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जानबूझकर गलत/भ्रामक रिपोर्ट, गलत स्पॉट मेमो अथवा तथ्य छिपाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय एवं विधिक कार्यवाही की जाए।

7. जांच पूरी होने तक विवादित रिपोर्ट/स्पॉट मेमो को अंतिम निष्कर्ष का आधार न बनाया जाए तथा प्रार्थी को निष्पक्ष पैमाइश एवं सीमांकन में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए।

8. की गई जांच एवं कार्यवाही से प्रार्थी को लिखित रूप से अवगत कराने की कृपा की जाए।

प्रार्थी को विश्वास है कि माननीय अधिकारीगण उपलब्ध अभिलेखों, पूर्ववर्ती रिपोर्टों, स्थलीय स्थिति एवं CCTV फुटेज सहित सभी साक्ष्यों का निष्पक्ष परीक्षण कर वास्तविक तथ्य सामने लाएंगे।

दिनांक: 04/09/2026

भवदीय,

डॉ. प्रेम नरायन

(सामाजिक कार्यकर्ता)

प्रतिभा कैंपस,

ग्राम-बेलवाडाड़, पोस्ट-कलवारी,
जनपद-बस्ती, उत्तर प्रदेश।

VID-20260904-WA0015.mp4

साभार!
डॉ. प्रेम नरायन
(सामाजिक कार्यकर्ता)
बस्ती, उत्तर प्रदेश (भारत)
मोबाइल नं. - (+91)9984404064
इमेल - pratibha.sadan007@gmail.com